राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3141/2021

मौहम्मद हुसैन **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक, किशोरपुरा, कोटा।
4. उपवन संरक्षक, सिविल लाईन कोटा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.09.2013
आदेश की दिनांक : 08.05.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री साजिद अली, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्रपाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा निम्न अनुतोष चाहा गया है:–

> It is therefore, prayed that this appeal may kindly be accepted and allowed and by an appropriate order or direction, the impugned order dated 02.05.2008 fixing the pay of appellant at minimum pay of Rs.750 in Pay Scale of 750-940 be declared bad and illegal and the respondents may kindly be directed to fix the pay of the appellant at Minimum pay of Rs.910 in pay scale of 910-1520 w.e.f. 01.04.1991 and revise the pay accordingly and pay the arrears to the appellant with interest thereon at the rate of 18% per annum, and the order dated 13.06.2018 may kindly be directed to be complied with all consequential benefits in favour of the appellant.

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी प्रारंभ में दिनांक 01.03.1989 को दैनिक वेतन पर लगा था और उसने मुंशी के रूप में काम किया था, लेकिन दिनांक 01.10.1992 को उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं, जिसे श्रम न्यायालय कोटा के समक्ष चुनौती दी गई, जिसके तहत आदेश दिनांक 29.04.2002 (अनुलग्नक–3) के द्वारा उसके सेवा समाप्ति आदेश को रद्द कर दिया गया एवं सेवा की निरंतरता के साथ 25 प्रतिशत बकाया वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। दिनांक 29.04.2002 के इस आदेश को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 5712/2002 को चुनौती दी गई थी, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 24.05.2006 (अनुलग्नक–4) द्वारा खारिज कर दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को सेवा में वापस ले लिया गया, लेकिन उसे दिनांक 01.10.1992 से 28.11.2006 के स्थान पर दिनांक

01.04.1992 से 29.04.2002 तक 25 प्रतिशत बकाया वेतन का भुगतान किया गया और उसके बाद पूर्ण वेतन भुगतान किया। आदेश दिनांक 28.04.2007 द्वारा दिनांक 01.04.1991 से अर्द्ध स्थायी मुंशी के रूप में स्वीकृति भी जारी कर दी गई। पत्र दिनांक 30.04.2008 (अनुलग्नक–5) द्वारा और उसके बाद आदेश दिनांक 01.05.2008 (अनुलग्नक–6) द्वारा अपीलार्थी को मुंशी के पद पर अर्ध स्थायी घोषित किया जाकर उन्हें वेतन श्रृंखला 910–20–1150–25–1400–30–1520 में न्यूनतम वेतन 910/– रूपये पर वेतन नियतन किया गया, परन्तु इसके एक दिन पश्चात दिनांक 02.05.2008 (अनुलग्नक–1) को पूर्व आदेश का संशोधन कर वेतन श्रृंखला 750–940 में न्यूनतम वेतन 750/– रुपये प्रतिमाह नियत किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने दिनाक 03.05.2008 (अनुलग्नक–7) को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परन्तु परिपत्र दिनांक 04.03.1998 का संदर्भ लेते हुए उसका अभ्यावेदन दिनांक 20.01.2009 (अनुलग्नक 8) के पत्र द्वारा खारिज कर दिया गया। अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण में अपील संख्या 436ध्2009 दायर कर दिनांक 28.04.2007 के आदेश से व्यथित होकर दिनांक 29.04.2002 से पूर्ण वेतन का दावा किया और दिनांक 02.05.2008 के आदेश को चुनौती देते हुए दिनांक 01.05.2008 के आदेश के अनुसार 910–1520 रुपये के वेतनमान में अपने निर्धारण का दावा किया, जिसका निर्णय दिनांक 11.06.2014 (अनुलग्नक–9) द्वारा माननीय न्यायाधिकरण ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दिनांक 29.04.2002 से 26.11.2006 तक की पूरी मजदूरी का भुगतान हेतु आदेशित किया एवं वेतन निर्धारण की चुनौती के संबंध में अपीलार्थी को विभाग के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया, जिस पर विभाग द्वारा 2 माह के अंदर निर्णय लिया जाना था। अपीलार्थी ने अपने वेतनमान 910–1520 दिनांक 01.04.1991 से निर्धारण हेतु विभाग के समक्ष दिनांक 14.07.2014 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया (अनुलग्नक–10)। इसके पश्चात पत्र दिनांक 07.04 2016 के माध्यम से उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया कि अपीलार्थी शुरू से ही मुशी के रूप में काम कर रहा था, जबकि वेतनमान क्रमांक 1 में मुंशी का कोई पद नहीं दिया गया है। प्रकरण को सीसीएफ, कोटा को भेजने और प्रधान मुख्य वन संरक्षक से निर्देश मांगने के बाद, पत्र दिनांक 15.12.2017 और 03.01.2018 और अंततः आदेश दिनांक 13.06.2018 के माध्यम से उप वन संरक्षक (डीसीएफ) कोटा पर निर्णय छोड़ दिया गया। अपीलार्थी का वेतन 750–940 के वेतनमान 750/– रुपये के न्यूनतम वेतन के स्थान पर 910–1520 रुपये के 910/– न्यूनतम वेतन पर तय करने का आदेश जारी किया गया था। दिनांक 07.04.2016 के पत्र की प्रति अनुलग्नक–11 के रूप में संलग्न है और पत्र दिनांक 15.12.2017 और 03.01.2018 की प्रति अनुलग्नक–12 के रूप में संलग्न है। पत्र दिनांक 14.06.2018 और 26.06.2018 जारी किया गया, जिसकी प्रति यहां अनुलग्नक–13 के रूप में संलग्न है। जिसके द्वारा

अपीलार्थी को दिनांक 01.04.1991 से 910–1520 का वेतनमान निर्धारित किया गया और वेतन 910/– रुपये के न्यूनतम वेतन पर निर्धारित किया गया और तदनुसार बैठन संशोधित किया गया, लेकिन सीसीएफ द्वारा दिनांक 30.07.2018 (अनुलग्नक–14) को एक और पत्र जारी किया गया जिसके द्वारा डीसीएफ को आदेश दिनांक 13.06.2018 को वापस लेने या इसकी मंजूरी प्राप्त करने का निर्देश दिया गया था। इसके पश्चात दिनांक 30.07.2018 को पुनः पत्र जारी कर अपीलार्थी के वेतनमान 910–1520 में निर्धारण के प्रकरण को स्थगित रखा गया। अपीलार्थी ने दिनांक 29.08.2018 को पत्र भी प्रस्तुत किया है जिसमें समान स्थिति वाले उम्मीदवारों का उदाहरण दिया गया है जिन्हें 910–1520 के वेतनमान का लाभ दिया गया है जो अपीलार्थी के बराबर है, जो सभी दैनिक वेतनभोगी थे और अपीलार्थी की तरह अर्थ स्थायी बना दिए गए थे, और वे सभी अपीलार्थी की तरह मुंशी है, लेकिन इन सभी तथ्यों के बावजूद, केवल अपीलार्थी को 910–1520 में अपने वेतन निर्धारण से वंचित कर दिया गया है, जबकि अपीलार्थी भी हकदार दिनांक 13.06.2018 का आदेश वापस नहीं लिया गया है और अभी भी अस्तित्व में है, लेकिन आदेश पारित होने के बावजूद इसका अनुपालन नहीं किया गया है। वेतन निर्धारण का प्रकरण काफी समय से लबित है और 910–1520 वेतनमान में वेतन निर्धारण का आदेश बहुत पहले पारित होने के बावजूद अभी तक आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है, जबकि समान स्थिति वाले अभ्यर्थी पहले से ही उन लाभों को प्राप्त कर रहे हैं जिनके लिए अपीलार्थी भी हकदार है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 18.02.2021 को एक कानूनी नोटिस भेजा है लेकिन उसका भी जवाब नहीं दिया गया है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी का वेतन 750–940 के बेतन्मान में 750 रुपये के न्यूनतम वेतन पर तय करने वाले गैर कानूनी आदेश दिनांक 02.05.2008 को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का वेतन दिनांक 01.04.1991 से 910–1520 के वेतनमान में न्यूनतम 910 रुपये प्रतिमाह पर निर्धारित किया जाये और तदनुसार वेतन को संशोधित कर अपीलार्थी को समस्त एरियर राशि पर 18 प्रतिशत ब्याज से भुगतान किया जावे। साथ ही आदेश दिनांक 13.06.2018 को अपीलार्थी के हित में सभी परिणामी लाभों के अनुपालन के लिए निर्देशित किया जाए।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि कर्मचारी को दिनांक 01.03.1989 से दैनिक श्रमिक के पद पर कार्य पर रखा गया तथा राज्य सरकार के आदेशानुसार दिनांक 01.10.1992 से नियमानुसार धारा 25 एफ की पालना करते हुए सेवा से हटा दिया गया। माननीय श्रम न्यायालय, कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 29.04.2002 से प्रार्थी श्रमिक को पिछले 25 वेतन व सेवा की निरन्तरता सहित सेवा में पुनस्थापित होने का अधिकारी घोषित किया जाता है। उक्त निर्णय के विरुद्ध

विभाग द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर मे 5712/2002 दायर की गयी जिसे माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 24.05.2006 से अस्वीकार कर दिया गया। उक्त निर्णय की पालना के क्रम में आदेश दिनांक 28.11.2006 से प्रार्थी श्रमिक को दैनिक श्रमिक के पद पर पुनः नियुक्ति दी गयी। कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर के पत्र दिनांक 30.04.2008 से प्रार्थी का मुंशी (दैनिक श्रमिक) की अर्द्धस्थाईकरण तिथि दिनांक 01.04.1991 का अनुमोदन प्राप्त हुआ । उक्त आदेश तथा वित्त विभाग आदेश दिनांक 04.03.98 के क्रम में इस कार्यालय के आदेश दिनांक 02.05.2008 से प्रार्थी का वेतन श्रृंखला 75–940 में न्युनतम 750/– प्रतिमाह पर दिनांक 01.04.1991 से अर्द्धस्थाईकरण किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध कार्मिकद्वारा राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण के समक्ष प्रथम अपील सं 436/2009 दायर की गयी। जिसको माननीय न्यायालय ने आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दिनांक 11.06.2014 को निर्णित किया। प्रार्थी श्रमिक द्वारा दिनांक 14.07.2014 को मुन्शी के पद पर दिनांक 01.04.1991 से अर्द्धस्थायी घोषित करते हुए मुन्शी की वेतन श्रृंखला 910–1520 में नियमतिकरण किये जाने हेतु आवेदन किया, परन्तु अधिकरण के निर्णय दिनांक 11.06.2014 के संबंध में अपील नो अपील के प्रस्ताव उच्च कार्यालय को भिजवाये गये जिस पर कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर के पत्र दिनांक 06.05.2015 द्वारा नो अपील तथा निर्णय की पालना के निर्देश प्रदान किए गये। इसी क्रम में इस कार्यालय द्वारा कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। जिसके अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक जयपुर के पत्र दिनांक 23.10.2008 एवं वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 04.03.1998 के अनुसार वेतनमान संख्या (1) के न्यूनतम पर ही अर्द्धस्थाईकरण तिथि से निर्धारित होना चाहिये। कार्यालय के पत्र दिनांक 13.06.2018 से कार्मिक का वेतन श्रृंखला 910–1520 में 910 पर नियमतीकरण किया गया। जिस पर संभागीय वन संरक्षक कोटा के पत्र दिनांक 30.07.2018 से कार्यालय आदेश दिनांक 13.06.2018 को निरस्त करने अथवा उक्त आदेश को प्रधान कार्यालय से सत्यापित करवाने हेतु निर्देशित किया। संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा के पत्र दिनांक 30.07.2018 से प्राप्त निर्देशों के क्रम में इस कार्यालय के आदेश दिनांक 13.06.2018 को प्रधान कार्यालय जयपुर से सत्यापित करवाने की प्रक्रिया जैरकार है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 30.04.2008 (अनुलग्नक–5) द्वारा दिनांक 01.04.1991 से मुंशी (दैनिक श्रमिक) के पद पर अर्द्धस्थाईकरण किया गया और आदेश दिनांक 01.05.2008 (अनुलग्नक–6) द्वारा स्थाईकरण के पश्चात वेतन श्रृंखला 910–20–1150–25–1400–30–1520 में न्यूनतम

वेतन 910 पर वेतन नियतन किया गया परन्तु इसके एक दिन पश्चात दिनांक 02.05.2008 को पूर्व आदेश का संशोधन कर वेतन श्रृंखला 750–940 में न्यूनतम वेतन 750 रुपये प्रतिमाह नियत किया गया। उपलब्ध रिकार्ड से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने पूर्व में इस संबंध में अपील अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 436/2009 दायर की गई, जिसमें अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 11.06.2014 द्वारा वेतन निर्धारण के संबंध में अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अभिमत व्यक्त किया (अनुलग्नक–9)। इसके पश्चात उपवन संरक्षक, कोटा के आदेश दिनांक 13.06.2018 द्वारा अपीलार्थी का वेतनमान मुंशी की वेतन श्रृंखला 910–1520 में न्यूनतम वेतन 910 निर्धारित किया जाना पाया जाता है (अनुलग्नक–2)। इसकी पालना में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के वेतन नियतन एवं वेतन वृद्धि संबंधी आदेश जारी कर दिए है, जो अनुलग्नक–12 पर उपलब्ध है। इसके पश्चात मुख्य वन संरक्षक कोटा के आदेश दिनांक 30.07.2018 (अनुलग्नक–14) द्वारा उपवन संरक्षक कोटा को पत्र लिखकर उनके द्वारा जारी आदेश दिनांक 13.06.2018 को निरस्त किए जाने अथवा जयपुर मुख्यालय भेजकर की गई कार्यवाही को उचित एवं सहीं होना सत्यापित कर निर्देश प्राप्त करे। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी का वेतन नियतन अनुलग्नक–1 के अनुसार वेतनमान 750 प्रतिमाह होना चाहिए था परन्तु डीसीएफ कोटा द्वारा अपीलार्थी की वेतन श्रंखृला 920–1520 में न्यूनतम वेतन 910 रुपये पर वेतन नियतन कर दिया गया। कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक जयपुर के पत्र दिनांक 30.04.2008 से अपीलार्थी को मुंशी (दैनिक श्रमिक) के स्थाईकरण के आदेश दिनांक 01.04.1991 का अनुमोदन प्राप्त हुआ। उक्त आदेश और वित्त विभाग के आदेश दिनांक 04.03.1998 के क्रम में आदेश दिनांक 02.05.2008 द्वारा अपीलार्थी को वेतन श्रृंखला 750–940 में न्यूनतम वेतन 750 रुपये प्रतिमाह पर स्थाईकरण किया गया, जिसके विरूद्ध कार्मिक ने माननीय अधिकरण के समक्ष प्रथम अपील 436/2009 मौहम्मद हुसेन बनाम राजस्थान एवं अन्य दायर की गई। अपीलार्थी के संबंध में जारी आदेश दिनांक 13.06.2018 को प्रधान कार्यालय जयपुर में सत्यापित करवाने की प्रक्रिया विचाराधीन है।

उपलब्ध दस्तावेज से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने इसी बिन्दु पर अधिकरण में अपील दायर करने पर अधिकरण द्वारा अपील संख्या 436/2009 में पारित निर्णय दिनांक 11.06.2014 द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अभिमत व्यक्त किया और अपीलार्थी के वेतन नियतन का प्रकरण वर्तमान में वन विभाग के मुख्यालय कार्यालय जयपुर में विचाराधीन होना पाया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से पूर्णतः स्पष्ट है कि अपीलार्थी का अर्द्धस्थाईकरण मुंशी (दैनिक श्रमिक) के पद पर किया गया है और अपीलार्थी का यह भी कथन है कि उसी के समान कार्यरत कार्मिकों को अर्द्धस्थाईकरण मुंशी के वेतनमान का वेतन नियतन किया गया है

(अनुलग्नक–15 एवं 16)। यह भी अंकित किया जाना प्रासंगिक होगा कि अपीलार्थी का आदेश दिनांक 30.04.2008 द्वारा दिनांक 01.04.1991 से अर्द्धस्थायीकरण किया गया है और इतने वर्ष व्यतीत होने के बावजूद भी अपीलार्थी के वेतन नियतन का विषय लम्बित है जो किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं है। अतः प्रकरण के तथ्यों के दृष्टिगत प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के वेतन नियतन के संबंध में अपीलार्थी को सुनवाई का यथोचित अवसर प्रदान करते हुए लम्बित प्रकरण का एक माह की अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जाकर उसे नियमानुसार देय पारित समस्त परिलाभ प्रदान किए जावे।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य